उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 2424/VII-1/2018/28 सोपस्टोन/16
देहरादून, दिनांकः 10 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम जल्थाकोट के क्षेत्रान्तर्गत कुल 04.150 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० जय अम्बिका माइन्स, स्टेशन रोड, बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 25.5.2016 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–263/VII-1/28–सोपस्टोन/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा मै० जय अम्बिका माइन्स, स्टेशन रोड, बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम जल्थाकोट के क्षेत्रान्तर्गत कुल 04.150 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1348/मु०ख०/75/बागे०/भू०खनि०ई०/2016–17, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० जय अम्बिका माइन्स, स्टेशन रोड, बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम जल्थाकोट के क्षेत्रान्तर्गत कुल 04.150 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.9.2017 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर अन्य शर्तों की अनुपालना किये जाने तथा आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 5 $^{1/2}$ माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम जल्थाकोट के क्षेत्रान्तर्गत कुल 04.150 है० भूमि में सोपस्टोन का 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि का सशर्त खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम जल्थाकोट में श्रेणी 1(क) की 3.237 है०, श्रेणी 5 की 0.221 है०, राज्य सरकार की 0.584 है० तथा सार्वजनिक उपयोग की 0.108 है० **कुल 4.150 है०** एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6. पट्टाधारक को जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA)/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पट्टाधारक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA)/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7.8. पट्टाधारक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA)/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA) द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.9. पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.9. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.10. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव

संख्याः 2424 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मै० जय अम्बिका माइन्स, स्टेशन रोड, बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव